न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 90/2022

वादी :– चम्पालाल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति सरगरा, निवासी नाथद्वारा स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मिश्रीलाल
2. कैलाशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल
3. श्रवण कुमार पुत्र मिश्रीलाल
4. सुरेशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल
5. बोराराम पुत्र चिमनाराम, जातियान सरगरा, निवासीगण सरगरों की गली बिलाडा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
7. बैक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री बेनाराम पटेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार।
प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :– 31/7/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सयुक्त खातेदारी की जमीन ग्राम बड़ी कलॉ, तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 158 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 2.6616 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 7.1516 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का है। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। अन्त में निवेदन किया कि बंटवाड़ा की डिक्री बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 5 इस अमर की पारित फरमाई जाये कि अर्जीदावा के पद संख्या 2 में बताई गई विवरण वाली जमीन यानि कि खेत खसरा नम्बर 158 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 2.6616 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 7.1516 हैक्टेयर वाके ग्राम बड़ी कलॉ, तहसील बिलाड़ा में पक्षकारों के मौके पर पूर्व बंटवाड़ा व कब्जे अनुसार तहसीलदार बिलाड़ा से बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 16.08.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बड़ी कलॉ, तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 158 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 2.6616 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 7.1516 हैक्टेयर में वादी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/3 हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम बड़ी कलॉ, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 2.3785 हैक्टेयर भूमि वादी चम्पालाल पुत्र श्री शंकलाल, जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 160 रकबा 2.3866 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण ओमप्रकाश पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4, कैलाशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4, श्रवणकुमार पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4, सुरेशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4 जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 158/1 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/1 रकबा 0.2751 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.3866 हैक्टेयर प्रतिवादी बोराराम पुत्र चिमनाराम, जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31/7/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

चम्पालाल ओमप्रकाश व अन्य

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 90/2022

निर्णय **दिनांक :–** 31/7/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बेनाराम पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार, प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बड़ी कलॉ, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 2.3785 हैक्टेयर भूमि वादी चम्पालाल पुत्र श्री शंकलाल, जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 160 रकबा 2.3866 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण ओमप्रकाश पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4, कैलाशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4, श्रवणकुमार पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4, सुरेशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/4 जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 158/1 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/1 रकबा 0.2751 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.3866 हैक्टेयर प्रतिवादी बोराराम पुत्र चिमनाराम, जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करे।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/7/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत् इजराज हुक्मनामा			बावत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा